फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर,(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री बंशी बनाम विपक्षी श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 251 "क" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पत्रावली संख्या 66/24

कार्यवाही विवरण

दिनांक: 20.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जा चुकी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थी द्वारा मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिहाड तहसील भीण्डर आराजी न. 1395 मे आने जाने, बैल गाडी, ट्रैक्टर ले जाने के लिए विपक्षी की मौजा खानातलाब पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर की आराजी न 712 मे से 15 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने निवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से पाया कि प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिहाड तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 1395 किता 1 रकबा 0.6500 है भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी की आराजी न 712 रकबा 1.1100 है भूमि मे से 15 फीट चौडा रास्ता कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण मे तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी न. 1395 रकबा 0.6500 है भूमि राजस्व ग्राम माण्डकला पटवार मण्डल सिहाड मे प्रार्थी श्री बंशी, मदन पिता चतरभुज खटिक हिस्सा पूर्ण खातेदार दर्ज रेकर्ड है जिस पर खातेदारो को आने जाने के लिए पहुंच मार्ग की आवश्यकता है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि राजस्व ग्राम खानातलाब के आराजी न 712 रकबा 1.1100 है भूमि किस्म चीड द्वितीय में से 0.0252 है.(4.5 मी X 56 मी) 15 फीट चौडा रास्ता चाहा गया है जो खातेदार की भूमि के पहुंच मार्ग के लिए निकटतम रास्ता हेतु प्रस्तावित है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि प्रार्थी के खेत के लिए प्रस्तावित रास्ता निकटतम रास्ता है। इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि पर आने जाने का अन्य कोई विकल्प नही है तथा वर्तमान मे मौके की स्थिति अनुसार आराजी न. 712 मे से 4.5 मी. X 56 मी. कुल रकबा 252 (मी²) है. भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की तथा उक्त रास्ते की डीएलसी दर 265000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रास्ते की जमा योग्य राशि 13360/– रूपये होना बताया।

प्रकरण मे प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षी की जिस भूमि मे से रास्ता चाह रहा है वह वर्तमान में बिलानाम भूमि हैं। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी की अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं हैं तथा प्रस्तावित रास्ता न्युनतम दुरी वाला है व इसकी अत्यान्तिक आवश्यकता हैं। अत: प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतित होता हैं। इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित हैं। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा माण्डकला पटवार हल्का सिंहाड तहसील भीण्डर की आराजी नम्बर 1395 किता 1 रकबा 0.6500 है. भूमि में आने जाने हेतु विपक्षी की मौजा खानातलाब पटवार हल्का सवना तहसील भीण्डर की आराजी न. 712 रकबा 1.1100 है. भूमि में से 4.5 मी. X 56 मी. कुल रकबा 252 (मी²) का रास्ता प्रस्तावित राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 265000/– अक्षरे दो लाख पैसठ हजार रूपयें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता की कुल कीमत 6680/– रूपये का दुगुना 13360/– रूपयें तेरह हजार तीन सौ साठ रूपये राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाई जावें। उक्त राशि विपक्षी को अदा करने के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकर्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्ते पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करने बाबत पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:19:30 IST
Reason: SelfAttested